

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं० - 01375-224233, E-Mail- dfobarkot@gmail.com वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

पत्रांक - 2558/ 12-1, दिनांक, बड़कोट, जून, '08, 2020।

सेवा में,

- ✓ अधीशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
बड़कोट।
- विषय:- जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल से सरबडियार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 9.50 कि०मी०) 4.284 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि०, बड़कोट को प्रत्यार्पण।
- सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/०६/०६/२०१९/एफ०सी०/२५२९ दिनांक-11.02.2020 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2174/एफ०पी०/यू०के०/18078/2016 दिनांक- 19.02.2020 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक-501/4भू०अ०, दिनांक 05.06.2020।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत मोटर मार्ग निर्माण प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्त संख्या-1 व 3 के अनुसार जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र इस कार्यालय के पत्रांक-2134/12-1, दिनांक 06.03.2020 से आपको प्रेषित किया गया था किन्तु आपके द्वारा अपने पत्रांक-501/4भू०अ०, दिनांक 05.06.2020 से अवगत कराया गया है कि जमा की जाने वाली धनराशि आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में जमा नहीं कराई गई है और वर्तमान में नोडल अधिकारी द्वारा इस कार्यालय के उक्त पत्रांक से मांगी गई धनराशि को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 की मानक दरो के आधार पर जमा की जाने वाली संशोधित धनराशि का मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि मांग के अनुसार धनराशि कैम्पा कोष में जमा कर जमा की गई धनराशि के चालान की प्रमाणित छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या-1 से 6 तक की अनुपालन आख्या मय प्रमाण पत्रों की चार प्रतियों में इस कार्यालय को प्रेषित करें ताकि शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सुबोध कुमार काला)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(सुबोध कुमार काला)

प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल से सरबडियार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 9.50 कि०मी०) 4.284 है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि०, बडकोट को प्रत्यार्जन प्रस्ताव हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों के अन्तर्गत प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का मांग पत्र ।

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

क्र० सं०	मोटर मार्ग का नाम	हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (हे० में)	दर प्रति हे० (प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-क 972/3-5-2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार वसूली वर्ष 2020-21 हेतु निर्धारित दर के अनुसार)	जमा की जाने वाली आकलित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल से सरबडियार तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई 9.50 कि०मी०) 4.284 है०	4.284	5	0.4	1- क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख रखाव हेतु धनराशि 2- एन०पी०वी० की धनराशि	8.588	337184.00	2888993.00
						4.284	845000.00	3619980.00
योग					पैसठ लाख आठ हजार नौ सौ तिहतर रू०			6508973.00



(सुबोध कुमार काला)
प्रभागीय वनाधिकारी,

अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।